

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ. 2(1)साप्र/2/2012


जयपुर, दिनांक 15 JUN 2012

15 JUN 2012

आदेश :-


श्री उपेन्द्र पाल सिंह, उप विधि परामर्शी, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर को उनकी द्वितीय श्रेणी की वरियता संख्या 7/2012 के द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14.5.2012 के द्वारा राजकीय आवास संख्या 301, मॉडल टाउन आवंटित किया गया था। उक्त आदेश दिनांक 8.6.2012 को निरस्त किया गया को राजहित में एतद्वारा विज्ञा/वापिस लिया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से


(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावें।
7. आंधशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि0वि0निगम लि0 गांधीनगर/मालवीयनगर, जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
9. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर/मालवीयनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
10. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
11. संबंधित अधिकारीगण।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा.प्र.वि।
13. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
14. रक्षित पत्रावली।


(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

OIC (Web.)

A
22-612

2012
28/6

Om (ms)